कार्यालय पंजीयक हमीरपुर (हि॰प्र॰)

[illegible] अधिनियम [illegible] के अन्तर्गत

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

सं. [illegible]

[illegible] कि [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दिनांक [illegible]

[illegible]

हमीरपुर

प्रस्ताव संख्या 1 :- आज दिनांक [illegible] को श्री [illegible] की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से संस्थान का नाम डायमंड शिक्षण [illegible] समिति रखा व कार्यकारिणी का चुनाव किया गया, जिसमें निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव किया गया :-

1. प्रधान [illegible]
2. उप प्रधान [illegible]
3. सचिव [illegible]
4. कोषाध्यक्ष [illegible]

सदस्य कार्यकारिणी :-

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

प्रस्ताव संख्या 2 :- सर्व सम्मति से संस्थान के नियमों को स्वीकार व ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :- निर्णय हुआ कि कमेटी को सभायें पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जावे तथा इस हेतु पंजीयक सभायें हिमाचल प्रदेश से प्रार्थना की जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :- सर्व सम्मति से श्री [illegible] को यह अधिकार दिया जाता है कि कमेटी के पंजीकरण सम्बन्धी हेतु पंजीयक सभायें हिमाचल प्रदेश से आवश्यक पत्र-व्यवहार करें तथा पंजीकरण कागजात में किसी प्रकार त्रुटि को दूर करने हेतु कटिंग वृद्धि आदि अपने हस्ताक्षर करें।

प्रस्ताव संख्या 5 :- संस्थान के उद्देश्य

1. उच्च स्तर की शिक्षा को विद्यार्थियों में उनके नजदीक प्रदान करवाई जावे।
2. हर जाति, उमर, लिंग, वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाना।
3. नौकरी से सम्बन्धित व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करवाना।
4. गरीबी से नीचे रह रहे विद्यार्थियों व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान कर उन्हें सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्राईवेट, सरकारी बैंक, प्राईवेट,मिलिटरी, फौज आदि में प्रवेश दिलवाना।

5. कोचिंग के द्वारा विद्यार्थियों को टैक्नीकल, प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग, मैडीकल, सूची व प्रबन्धकीय कोर्सों में प्रवेश दिलवाना।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को उचित शिक्षा व कोचिंग प्रदान करवाना।

7. आधुनिक युग में प्रतियोगिता की दुनिया में विद्यार्थियों को आत्म विश्वास जगाने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने व गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करवाना और अपने व्यवसाय में कामयाबी दिलवाना।

8. संस्थान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उचित शिक्षा, उन्हें अपने पावों पर तैयार होना, ऊर्जा का ठीक समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करना और उनकी योग्यता के आधार पर कार्य करने के अवसर प्रदान करवाना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास हेतु अन्य प्रकार के हर सम्भव प्रयास संस्थान की प्राथमिकता होगी।

कार्यकारिणी तथा मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्य भी संगठन के सक्रिय सदस्यों की सूची में शामिल हैं :–

मनोनीत सदस्य के नाम व पद

	नाम	पद
1.	[illegible]	प्रधान
2.	[illegible]	उप प्रधान
3.	[illegible]	सचिव
4.	[illegible]	कोषाध्यक्ष

सदस्य कार्यकारिणी–

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

[illegible]

कमेटी के समस्त सदस्यों के नाम व पते :-

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	आयु	पूरा पता	हस्ताक्षर
1	श्री [illegible] (प्रधान)	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
2	श्री [illegible] (उपप्रधान)	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
3	श्री [illegible] (सचिव)	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
4	श्री [illegible] (कोषाध्यक्ष)	श्री [illegible] सिंह	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
5	श्री [illegible] (सदस्य)	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
6	श्री [illegible] (सदस्य)	श्री [illegible] सिंह	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
7	श्री [illegible] (सदस्य)	श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	श्री [illegible] (सदस्य)	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
9	श्रीमती [illegible] देवी (सदस्य)	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
10	श्रीमती [illegible] (सदस्य)	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]
11	श्रीमती [illegible] देवी (सदस्य)	श्री [illegible] सिंह	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible] देवी

सदस्यता– प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है संस्था की सदस्यता ग्रहण कर सकता है/सकती है। यदि वह पागल, दिवालिया तथा किसी न्यायालय के किसी संगीन अपराध में दाखिल न हुआ/हुई हो।

सदस्य शुल्क :– प्रत्येक सदस्य को प्रवेश के समय संस्थान को रू0 10/– रू0 प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसे जनवरी माह में अदा करना होगा।

वार्षिक सदस्य शुल्क न देने का परिणाम :-

क. जो सदस्य निर्धारित तिथि से तीन मास तक संस्था को वार्षिक रु0 120/- रुपये शुल्क नहीं देगा/देगी, उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी। परन्तु कार्यकारिणी को यह अधिकार होगा कि यदि ऐसा सदस्य एक मास के भीतर 5/-रु0 दण्ड सहित समस्त बकाया शुल्क अदा कर देता है तो कार्यकारिणी उसकी सदस्यता बहाल कर सकती है। सम्भवतः इस अवधि में भी शुल्क अदा न करने की दशा में दोषी को पुनः संस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा। तथा प्रवेश शुल्क अदा करना होगा।

ख. जो सदस्य संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करेगा उसकी सदस्यता साधारण अधिवेशन द्वारा 2/3 बहुमत से समाप्त कर दी जायेगी, परन्तु ऐसे सदस्य को कथित दोष का उत्तर देने के लिये 15 दिन का समय दिया जायेगा।

साधारण सभा :- संस्थान के समस्त सदस्यों को मिलाकर संस्थान की साधारण सभा का गठन होगा। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। जिन सदस्यों से संस्थान का वार्षिक शुल्क 3 मास तक प्राप्त न होगा, उन्हें संस्थान की सभा की बैठकों में भाग लेने का कोई अधिकार न होगा। संस्थान की साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा। बराबर मतों की दशा में प्रधान को एक और मत देने का अधिकार होगा।

कार्यकारिणी :- कार्यकारिणी का चुनाव वार्षिक साधारण बैठक में बहुमत से किया जायेगा जिसकी अवधि केवल दो वर्ष होगी। किन्ही विशेष परिस्थितियों में यह अवधि अधिक से अधिक छः मास तक बढ़ाई जा सकेगी। कार्यकारिणी के निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य होंगे। प्रधान, उप प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा एक से तीन सदस्य होंगे।

कार्यकारिणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति :- यदि किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा किसी अन्य कारण से कार्यकारिणी में कोई स्थान रिक्त हो जाये तो तब कार्यकारिणी के शेष सदस्यों को अधिकार होगा कि वे साधारण सदस्यों के अधिवेशन द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष अवधि के लिये करें।

किसी भी कार्यकारिणी सदस्य को ऐसे मामले में मत देने का अधिकार नहीं होगा, जिस मामले में वह लिप्त होगा। कार्यकारिणी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उन सभी कार्यों को करें, जिनसे संस्थान का विकास होता है।

कमेटी के नियम व संविधान:–

साधारण कार्यकारिणी को निम्नलिखित अधिकार होंगे :–

क. कमेटी के आय–व्यय की सूची तैयार करना तथा संगठन का वार्षिक बजट तैयार करना व उसे संगठन के साधारण अधिवेशन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

ख. प्रधान/उप प्रधान अथवा सचिव को विशेष अधिकार प्रदान करना।

ग. कमेटी के धन को उन्नती हेतु खर्च करना।

कार्यकारिणी की बैठक :–

कार्यकारिणी की तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है। कार्यकारिणी की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 रहेगा। कार्यकारिणी अपनी बैठक का कोरम पूरा न होने की दशा में बैठक भी स्थगित कर सकती है। तथा अगले 10 दिन के अन्दर पूर्ण बैठक बुला सकती है। यदि पुनः बुलाई गई बैठक का कोरम एक घण्टे तक परिणाम न होगा तो उपस्थित सदस्य ही बैठक का पूर्ण कोरम माना जाएगा, परन्तु स्थगित बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर निर्णय लिया जायेगा, जिन्हें पूर्ण बैठक के नोटिस में शामिल किया होगा।

कमेटी का भंग होना :– समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से कमेटी को भंग करने हेतु निर्णय लिया जायेगा तथा कमेटी को भंग करने के लिये पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 व 14 का अनुपालन किया जाएगा।

कमेटी की बैठकों में भाग न लेने का परिणाम :–

क. ऐसे कार्यकारिणी सदस्य अथवा साधारण सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी। यदि वह कमेटी की कार्यकारिणी की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा और उसका यदि कोई उचित कारण न होगा। यदि वह साधारण सदस्य है। तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा पर यदि वह कार्यकारिणी का सदस्य है।

ख. इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य पागल, दिवालिया अथवा किसी न्यायालय से किसी संगीन अपराध में दण्डित हो जायेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

कमेटी के लाभ :– कमेटी का लाभ कमेटी के सदस्यों में नहीं बांटा जायेगा, अपितु उसे कमेटी संस्थान की बढ़ोतरी व भलाई पर खर्च होगा।

कमेटी की आय :– कमेटी की आय निम्नलिखित साधनों से होगी :–

1. सदस्यों से प्रवेश शुल्क।
2. सदस्यों से वार्षिक शुल्क।
3. सरकार अथवा अन्य संस्थानों से सहायता ऋण तथा अनुदान आदि।
4. कमेटी का धन किसी बैंक अथवा डाकघर में कमेटी के नाम से जमा रहेगा। तथा कोषाध्यक्ष और सचिव संयुक्त रुप से राशी बैंक अथवा डाकघर से निकाल सकेंगे। यदि कोई भी एक सदस्य कमेटी की राशी न निकाल सके।

साधारणतः कमेटी के अधिवेशन को निम्नलिखित अधिकार होंगे :–

क. सदस्यों के निष्कासन सम्बन्धि मामलों को निपटाना।
ख. कार्यकारिणी का चुनाव बहुमत से करना।
ग. अंकेक्षण रिपोर्ट का स्वीकार अथवा अस्वीकार करना।
घ. अंकेक्षण की नियुक्ति करना।
ड. उन सभी विषयों पर विचार करना जो कमेटी की कार्यकारिणी द्वारा साधारण सभा के सम्मुख रखे गये हों।

कमेटी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

क. प्रधानः वह कमेटी के साधारण अधिवेशनों तथा कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। साधारणतः प्रधान कमेटी का काम सुचारु रुप में चलाने के लिये उत्तरदायी होगा। बराबर की मतों की दशा में प्रधान को एक से अधिक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

ख. उप प्रधान :– वह प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। प्रधान व उप प्रधान दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से बैठक की अध्यक्षता करने के लिये सभापति का चुनाव करेगा।

ग. सचिव :– सचिव कमेटी के सभी प्रकार के कारोबार की देखभाल करेगा तथा प्रधान की अनुमति से कमेटी की कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठकें बुलायेगा। वह कार्यवाही रजिस्टर में अंकित करेगा तथा प्रस्तावित विषयों को कार्यवाही रुप देगा।

घ. कोषाध्यक्ष :– कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी के आदेशानुसार कार्य करेगा। यह दो सौ [illegible] तक नगद राशी अपने पास रख सकेगा तथा इसके ऊपर की

राशी यदि राशी कमेटी के किसी अति आवश्यक कार्य हेतु व्यय करनी आवश्यक न होगी तो उसे किसी बैंक या डाकघर में जिसे कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत किया होगा, जमा करवायेगा।
साधारणतः कोषाध्यक्ष कमेटी को होने वाली आय को प्राप्त करेगा तथा आवश्यक रसीदें जारी करेगा।

साधारण बैठक :–

क. कमेटी की वर्ष में एक बैठक अवश्य होगी। विशेष परिस्थितियों में इससे पहले भी बैठक बुलाई जा सकेगी। बैठक का कोरम एक घंटे तक पूर्ण नहीं होगा तो ऐसी बैठक को स्थगित कर दिया जायेगा तथा अगले 15 दिन के भीतर पुनः बैठक बुलाई जायेगी। यदि दूसरी बैठक में भी निश्चित समय से एक घंटे तक कोरम पूर्ण नहीं होगा तो उपस्थित सदस्य बैठक की गणपूर्ति समझी जायेगी।

ख. कमेटी के 15 सदस्यों प्रधान अथवा कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों की मांग पर कमेटी की साधारण बैठक बुलाई जा सकेगी और इसके लिये लिखित आवेदन पत्र कमेटी के कार्यक्रम सचिव को प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्यकारिणी एक मास के भीतर बैठक बुलाती है। यदि सचिव एक मास के भीतर बैठक नहीं बुलाता है तो दो मास के भीतर स्वयं कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी बैठक के लिये कमेटी व साधारण सदस्यों की बैठक से 15 दिन पूर्व सूचना जारी करना आवश्यक होगा।

विकल्प सदस्य :– यदि कमेटी उचित समझे तो स्थानीय ग्राम पंचायत को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक ग्राम पंचायत सदस्य को सह विकल्प सदस्य के रूप में कमेटी की कार्यकारिणी में शामिल किया जायेगा। परन्तु उस सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा। कोरम की पूर्ति के लिये उस सदस्य को गिना जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कमेटी के नियमों तथा उपनियमों की वास्तविक प्रति है, जिसे कमेटी ने अपने साधारण अधिवेशन में ग्रहण तथा स्वीकार किया है।

संस्थान का नाम :–

डायमंड शिक्षण एवं सामाजिक कल्याण समिति, ताराबाड़ी, त0 भोरंज जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) रखा गया।

वित्तीय प्रबन्ध :–

चूंकि संस्थान की आय का अपना कोई प्रबन्ध नहीं होगा। अतः इसकी आय निम्नलिखित पर निर्भर करेगी।

1. भारत या केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिये गए अनुदान पर।
4. कार्यकारिणी अपना वित्तिय खाता किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त बैंक में खोलेगी तथा आवश्यकतानुसार ही धन राशी अहरित करेगी।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने समस्त उपस्थित जनों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा धन्यवाद दिया और सभा को विसर्जित कर दिया।

कार्यकारिणी कमेटी के नियम व सीमा नियम

1. कार्यकारिणी के सभी कार्य प्रधान के नाम से पारित होंगे।
2. प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान प्रधान की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
3. कार्यकारिणी के किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र देने की सूरत में प्रधान को यह हक होगा कि वह अगले चुनाव तक की अवधि के लिये किसी व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त करे।
4. कार्यकारिणी का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद करवाया जायेगा। किसी आपात स्थिति के कारण कार्यकारिणी का कार्यकाल 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है।
5. सारी वित्तिय शक्तियां कार्यकारिणी के पास रहेंगी। प्रधान, उप प्रधान तथा कोषाध्यक्ष में से कोई भी धनराशी अहरण या वितरण का काम कर सकेंगे। या कार्यकारिणी यह कार्य प्रस्ताव द्वारा पारित कर इनस्टीयूट को यह काम सौंप सकती है।
6. कार्यकारिणी की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, जिसमें इस संस्थान के कार्य या कार्य का विमोचन किया जाया करेगा।
7. प्रधान या अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार होगा कि यदि कार्यकारिणी का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो वह उसे निकाल दें।
8. कार्यकारिणी को संस्थान के किसी भी कर्मचारी जो सरकार द्वारा नियुक्त न किया गया है को रखने या निकालने का पूरा हक होगा।
9. कार्यकारिणी संस्थान की वित्तिय सम्र्थता के अनुसार कर्मचारी को वेतन या भत्ता देगी।
10. कार्यकारिणी विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार बिल्डिंग का प्रबन्ध करेगी तथा विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करायेगी।

(9)

11. संस्थान की आय के साधन निम्नलिखित होंगे :-

- क. भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सहायता।
- ख. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता।
- ग. जाने-माने व्यक्तियों द्वारा दिया जाने वाला अनुदान।

12. कमेटी को भंग करने तथा नये चुनाव करवाने का अधिकारी आम सभा में 2/3 के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा होगा।

<u>कमेटी के लाभ -</u>

संस्थान की आय का लाभ किसी कमेटी के सदस्य को नहीं मिलेगा, अपितु संस्थान की बढ़ोतरी या भलाई पर खर्च होगा।

व्यक्ति/महिलायें जिनके पूरे पता नाम विवरण के साथ नीचे दिये गये हैं। कमेटी की सभायें पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के इच्छुक तथा प्रार्थी हैं।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पेशा	पूरा पता	हस्ताक्षर
1	श्री [illegible]	[illegible]	30 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	श्री अनुप ठाकुर	श्री [illegible] सिंह	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	श्री मनोज कुमार	श्री [illegible]	36 वर्ष	-do-	[illegible]	[illegible]
4	श्री [illegible] सिंह	श्री [illegible] राम	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	श्री सुनील कुमार	श्री प्रकाश चन्द	23 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	श्री सुभाष कुमार	श्री [illegible] चंद	23 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	श्री महेन्द्र [illegible]	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	श्री [illegible] सिंह	श्री [illegible] चंद	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	श्री [illegible] चंद	श्री [illegible] राम	[illegible] वर्ष	-do-	[illegible]	[illegible]
10	श्री [illegible]	श्री [illegible]	36 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	श्री [illegible] सिंह	श्री [illegible] राम	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	श्री [illegible] सिंह	[illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	श्री [illegible] सिंह	[illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	श्री महेन्द्र सिंह	श्री [illegible] सिंह	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	श्री [illegible] चंद	श्री [illegible] राम	35 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	श्री [illegible]	[illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	श्री [illegible]	श्री प्रकाश चन्द	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	श्री [illegible] ठाकुर	श्री [illegible] चंद	35 वर्ष	-do-	[illegible]	[illegible]

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पेशा	पूरा पता	हस्ताक्षर
19	कुमारी [illegible]	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	कुमारी [illegible]	श्री [illegible] चंद	22 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	कुमारी [illegible]	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible] Kumari
22	श्रीमती [illegible]	श्री महेन्द्र सिंह	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	Kamla Devi
23	श्रीमती [illegible]	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	श्रीमती [illegible]	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible] देवी
25	कुमारी [illegible]	श्री [illegible]	21 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	श्रीमती [illegible]	श्री [illegible] सिंह	55 वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	श्रीमती [illegible] देवी	श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	श्रीमती [illegible] देवी	स्व० श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	श्रीमती [illegible] देवी	स्व० श्री [illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	श्रीमती [illegible] देवी	[illegible]	[illegible] वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible] देवी

हस्ताक्षर क्रम सं० 1 से 30 तक प्रमाणित किये हैं।

हस्ताक्षर सत्यापित

[illegible]

DIAMOND EDUCATIONAL SOCIETY, TARKWARI, TEH. BHORANJ DISTT. HAMIRPUR (H.P.) 176045.
REGISTERED UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860 AND H.P AMENDMENT Act 1973.

Diamond educational society is an autonomous non-profit making, Non Govt. Organization (N. G. O.) devoted to the promotion of education, coaching (General, technical, Vocational and Professional) training to the Sc/St/OBC and students of weaker section based on economical criteria.

This Organization was found in Jan. 2003 and Govt. of Himachal Pradesh Regd. The organization for the development of the weaker section of the society with its S.R. Act of XXI, 1860 vide letter No. 19673/04 Dated. 16-12-2004.

AIMS OF THE INSTITUTE & MAIN OBJECTIVES

Diamond educational society is a non commercial voluntary autonomous educational society with the aim of expansion and promotion of education, publication of scare, unique and newly written literature, pay honor and due promotion to the educationists. There may be enumerated as below:-

(i) To democratizes higher education by provided it to the students at their doorstep.
(ii) To provide higher education to one and all irrespective of age/sex/cast and territory.
(iii) To provide job oriented, vocational and professional education of the weaker section of the society.
(iv) To coach/train candidates belonging to SC/ST/OBC and weaker section including minorities to enable them, in various competitive/entrance examination.
(v) To coach/train the students to get the admission in technical, vocational, engineering, medical, Agricultural and all management courses etc. in the jurisdiction area of teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)
(vi) To develop the quality of leadership amongst the students by restoring the confidence and ability to stand out amongst the people in the world of competitions.
(vii) To raise the standard of technical, vocational/professional education among the weaker section of the society.
(viii) The basic philosophy of the institute is to provide creative ways of human education, so that it is student might prepare themselves for positive involvement in and dedications of all their energies and capabilities to whatever work is interested to them.

(11)

REGARDING INSTITUTE

Diamond educational society is an Autonomous Non profit making non Government Organization (N.G.O.) devoted to the education coaching training (General, Technical and Vocational/professional) to the SC/ST/OBC/Physically handicapped and students of weaker section based on economical criteria.

This institute was established in Jan. 2003 and On 15-02-04 H.P. SC/ST Corporation and N.A.C. Hamirpur has approved this institute to provide the various type of coaching and training to the SC/ST/OBC candidates.

AIM OF THE INSTITUTE AND MAIN OBJECTIVES

Diamond educational (H.P.) is a non commercial Voluntary Autonomous Institution and Social Institution with the aim of expansion and promotion of education, publication of scare, unique and newly written literature, pay honor and sue promotion to the educationists there may be enumerated as below: -

(i) To democratize higher education by providing it to the students at their doorstep.

(ii) To provide higher education to one and all irrespective of age/sex/cast/territory.

(iii) To provide job oriented and professional education.

(iv) To coach/train candidates belonging to weaker section including minorities to enable them in various competitive/ entrance examination, covering to services under group A, B, C, D, under central and state Government public and private sector, undertaking, banks defense forces and Para-military forces.

(v) To coach train the students to get the admission in technical Vocational, Engineering, Medical, agriculture and management courses etc.

(vi) To coach/train the ST's/SC's/OBC's candidates.

(vii) To develop the quality of leadership amongst the students by restoring the confidence and ability to stand out amongst the people in this world of competition.

(viii) The basis philosophy of the institute is to provide creative ways of human education so that its students might prepare themselves for positive involvement in and dedication of all their energies and capabilities to whatever work is interested to them.

Diamond Educational Society

Regd. Under S.R. ACT XXI of 1860 (1987/8) Mob.: [illegible]

Tarkwari (Bassi Road), Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) 176045

Ref. No.......—.......   Dated 17/04/2017

List of Current Committee Members of Diamond Educational Society Tarkwari Teh.:- Bhoranj, Distt.:- Hamirpur (H.P.)

Sr. No.	Name & Designation	Father's Name	Age Yrs.	Full Address	Signature of Members
1	Sh. Sunil Kumar (President)	Sh. Parkash Chand Verma	36	Vill.:- Tikker Kharwarian, P.O.:- Kharwar, Teh.:- Bhoranj, Distt.: Hamirpur (H.P.)	(signed)
2	Sh. Pritam Chand (Vice-President)	Sh. Thakar Dass	60	Vill.:- Nahlwin, P.O.:- Aghar, Teh.:- Hamirpur, Distt.: Hamirpur (H.P.)	(signed)
3	Sh. Anil Thakur (Secretary)	Sh. Parkash Chand	35	Vill.:- Tikker, P.O.:- Kharwar, Teh.:- Bhoranj, Distt.: Hamirpur (H.P.)	(signed)
4	Sh. Anil Kumar (Cashier)	Sh. Jagat Singh	29	Vill.:- Marhana, P.O.:- Marhana, Teh.:- Ghumarwin, Distt.: Bilaspur (H.P.)	(signed)
5	Sh. Deepak Sharma (Member)	Sh. Thakar Dass	35	Vill.:- Dangrin, P.O.:- Dangrin, Teh.:- Bhoranj, Distt.: Hamirpur (H.P.)	(signed)
6	Sh. Bhupender Singh (Member)	Sh. Nazar Singh	33	Vill.:- Thathwani, P.O.:- Thathwani, Teh.:- Bhoranj, Distt.: Hamirpur (H.P.)	(signed)
7	Sh. Rakesh Kumar (Member)	Sh. Joginder Singh	35	Vill.:- Amroh, P.O.:- Amroh, Teh.:- Bhoranj, Distt.: Hamirpur (H.P.)	(signed)

(signed)

Secretary,

Diamond Educational Society.

Secretary
Diamond Educational Society
TARKWARI Teh. Bhoranj
Distt. Hamirpur (H.P.) 176045

DIAMOND EDUCATIONAL SOCIETY, TARKWARI, TEH. BHORANJ DISTT. HAMIRPUR (H.P.) 176045.
REGISTERED UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860 AND H.P AMENDMENT Act 1973.

Diamond educational society is an autonomous non-profit making, Non Govt. Organization (N. G. O.) devoted to the promotion of education, coaching (General, technical, Vocational and Professional) training to the Sc/ST/OBC and students of weaker section based on economical criteria.

This Organization was found in Jan. 2003 and Govt. of Himachal Pradesh Regd. The organization for the development of the weaker section of the society with its S.R. Act of XXI, 1860 vide letter No. 19673/21 Dated. 16-02-2004.

AIMS OF THE INSTITUTE & MAIN OBJECTIVES

Diamond educational society is a non commercial voluntary autonomous educational society with the aim of expansion and promotion of education, publication of scare, unique and newly written literature, pay honor and due promotion to the educationists. There may be enumerated as below:-

(i) To democratizes higher education by provided it to the students at their doorstep.
(ii) To provide higher education to one and all irrespective of age/sex/cast and territory.
(iii) To provide job oriented, vocational and professional education of the weaker section of the society.
(iv) To coach/train candidates belonging to SC/ST/OBC and weaker section including minorities to enable them, in various competitive/entrance examination.
(v) To coach/train the students to get the admission in technical, vocational, engineering, medical, Agricultural and all management courses etc. In the jurisdiction area of teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)
(vi) To develop the quality of leadership amongst the students by restoring the confidence and ability to stand out amongst the people in the world of competitions.
(vii) To raise the standard of technical, vocational/professional education among the weaker section of the society.
(viii) The basic philosophy of the institute is to provide creative ways of human education, so that it is student might prepare themselves for positive involvement in and dedications of all their energies and capabilities to whatever work is interested to them.

(11)

LIST OF THE COMMEETTEE MEMBERS OF THE DIAMOND EDUCATIONAL SOCIETY TARKWARI TEH. BHORANJ, DISTT. HAMIRPUR H.P.

S.N.	Name & Designation	Father's Name	Age Yrs	Full Address	Signature
1	Sh.Sunil Kumar (PRESIDENT)	Sh. Parkash Kumar	28	Vill. Tikker Kharwarian Post: Kharwar Teh. Bhoranj Distt. Hamirpur H.P.	
2	Sh.Vipan Katna (Vice President)	Sh.Chuni Lal	37	VPO: Tarkwari Teh. Bhoranj Distt. Hamirpur H.P.	
3	Sh. Anil Thakur (SECRETARY)	Sh. Parkash Thakur	25	Vill.Tikker Kharwar Post: Kharwar Teh Bhoranj Distt. Hamirpur H.P.	
4	Sh. Anil Kumar (CASHIER)	Sh. Jagat Singh	29	VPO: Marhana Teh. Ghumarwin Distt. Hamirpur H.P.	
5	Sh. Jai Ram Verma (Member)	Sh. Gopala Ram	66	VPO: Mutani Teh. & Distt. Hamirpur H.P.	
6	Sh. Suresh Chand (Member)	Sh. Mahant Singh	52	Vill. Tikker PO Kharwar Teh. Bhoranj Distt. Hamirpur H.P.	
7	Sh. Ashwani Thakur (Member)	Sh. Chamel Thakur	29	Vill.Balla Tikker Po. Kharwar, Teh.Bhoranj Distt. Hamirpur H.P.	
8	Smt.Leela Devi (Member)	Sh. Chuni Katna	64	VPO:Tarkwari Teh. Bhoranj Distt: Hamirpur H.P.	
9	Smt.Sunita Devi (Member)	Sh.Santosh Chand	42	Vill: Tikker Post: Kharwar, Teh.Bhoranj Distt: Hamirpur H.P.	
10	Smt. Anita Devi (Member)	Sh. Rajesh Kumar	34	Vill.Bajuni Post: Dangi Teh. Bhoranj Distt: Hamirpur H.P.	
11	Smt.Sheela Devi (Member)	Sh. Joginder Singh	39	Vill. Tikker, Post: Kharwar, Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur H.P.	

President **Vice President** **Secretary** **Cashier**

(Signature of the Gram Panchyat Pardhan)